

उपायुक्त-सह- जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी।

85

(खनन शाखा)

आदेश।

खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना सं०-ख०नि०(विविध)-76/2015-2435/एम०, राँची, दिनांक 24 नवम्बर 2015 के द्वारा झारखण्ड सरकार ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे परिवार/व्यक्तियों के हितों की रक्षा एवं आधारभूत संरचना सुविधाओं को मुहैया कराने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में किए गए संशोधन अधिनियम, 2015 के आलोक में उक्त अधिनियम की धारा-9बी० में उल्लेखित प्रावधान अन्तर्गत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के गठन करने का निर्णय लिया है। उक्त अधिसूचना के आलोक में खूँटी जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद एवं प्रबंधकीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

(क) न्यास परिषद :-

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. उपायुक्त, खूँटी। - | अध्यक्ष। |
| 2. उप विकास आयुक्त, खूँटी। - | सदस्य सचिव। |
| 3. आरक्षी अधीक्षक, खूँटी। - | सदस्य। |
| 4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी। - | सदस्य। |
| 5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी। - | सदस्य। |
| 6. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी। - | सदस्य। |
| 7. उप निदेशक, खान दक्षिणी छोटानागपुर, अंचल राँची। - | सदस्य। |
| 8. उप निदेशक, भूतत्व खनिज नगर, राँची। - | सदस्य। |
| 9. सहायक खनन पदाधिकारी, खूँटी। - | सदस्य। |
| 10. अध्यक्ष श्रीमती जोनिका गुड़िया, जिला परिषद खूँटी/प्रतिनिधि। - | सदस्य। |
| 11. झारखण्ड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि। - | सदस्य। |
| 12. मनोज कुमार, माननीय सांसद के प्रतिनिधि। - | सदस्य। |
| 13. श्री ज्योतीष भगत, माननीय विधायक
श्री निलकंठ सिंह मुण्डा, के प्रतिनिधि। - | सदस्य। |
| 14. श्री पौलूस सुरीन, माननीय विधायक अथवा प्रतिनिधि। - | सदस्य। |
| 15. श्री नीतेश शारदा, पत्थर खनन पट्टाधारी। - | सदस्य। (शासी परिषद द्वारा नामित) |
| 16. श्री संतोष संगी, पत्थर खनन पट्टाधारी। - | सदस्य। (शासी परिषद द्वारा नामित) |
| 17. श्रीमती रूकमीला देवी, प्रमुख, खूँटी। - | सदस्य। |
| 18. श्री जितेन्द्र कश्यप, उप प्रमुख, खूँटी। - | सदस्य। |
| 19. श्रीमती चन्द्रमुनी मिन्ज, मुखिया, गुटजोरा ग्राम पंचायत। - | सदस्य। |

(ख) प्रबंधकीय समिति :-

- | | |
|---|-------------|
| 1. उपायुक्त, खूँटी। - | अध्यक्ष। |
| 2. आरक्षी अधीक्षक, खूँटी। - | सदस्य। |
| 3. उप विकास आयुक्त, खूँटी। - | सदस्य सचिव। |
| 4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी। - | सदस्य। |
| 5. सहायक खनन पदाधिकारी, खूँटी। - | सदस्य। |
| 6. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी। - | सदस्य। |
| 7. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खूँटी। - | सदस्य। |

शर्त :- शासी परिषद नामित न्यासी का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा। किन्तु ऐसे व्यक्ति जिनहें शासी परिषद में न्यासी के रूप में नामित किया गया है उनकी अवधि 02 कार्यकाल से अधिक नहीं होगी।

[Handwritten Signature]
2.8.16
खनन शाखा, खूँटी

7
02.8.16

[Handwritten Signature]
उपायुक्त,
खूँटी।